

कार्यालय
प्रधान निदेशक ~~वणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं~~ (~~इ-क्रा 12/2012~~)
~~पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड~~
नई दिल्ली

कार्यालय आदेश संख्या:- 269

~~इ-क्रा 12/2012~~
प्रधान निदेशक ~~वणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड~~ नई दिल्ली
द्वारा ~~खस्रीय शम्भाषा अधिसूचना~~ रसीद हेतु ए.सी.बिल द्वारा खर्च की पूर्ति करने के
लिए रुपये 100000/- (~~एक लाख मात्र~~) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा0)

संख्या:- प्रशा-III/ए.सी.बिल्स/1-12/2012-13/के.डब्लू/ दिनांक:- 19.01.2021

6638-6841

प्रतिलिपि:-

1. भुगतान एवं लेखो कार्यालय, कार्यालय महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), दिल्ली,
ए0जी0सी0आर0, भवन, नई दिल्ली ।
2. बिल सहायक (दो प्रति)
3. बजट सहायक
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा0)